

प्रारूप-1

[भाग-एक]

एकीकृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन/सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो

आवेदन पत्र क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदन दिनांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- *1. योजना का नाम (चिन्ह ✓ लगायें) : इंदिरा वृद्धावस्था पें. इंदिरा विधवा पें. इंदिरा निःशक्त पें.
: सामाजिक सुरक्षा पें. सुखद सहारा पें.

*2. जिला का नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*3. क्षेत्र : ग्रामीण शहरी

*4. वि.ख./ननि/नपा/नपं/जप :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*5. ग्राम पंचायत/वार्ड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*6. ग्राम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. मोहल्ला :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. आवेदक का नाम

*प्रथम नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मध्य नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

उपजाति/सरनेम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*9. पिता/पति का नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. उत्तराधिकारी :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. आवेदक का पता

मकान नं./ग्राम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

गली/पोस्ट आफिस :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

जिला :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पिन कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. गरीबी रेखा से नीचे का विवरण

वर्ष

:

विकासखण्ड/नगरीय निकाय

:

परिवार पहचान सर्वे क्रमांक

:

सदस्य पहचान क्रमांक

:

12. निराश्रित संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न

: हां नहीं

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा सुखद सहाय योजना अन्तर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए)

*14. लिंग

: पुरुष महिला

15. जन्मतिथि

:

*16. उम्र

: वर्ष/माह/दिन

17. वार्षिक आय

:

*18. वर्ग

: अजा अजजा अपित सामान्य

अल्पसंख्यक

: हां नहीं

19. विधवा/परित्यक्त (✓ चिन्ह लगाये)

: हां नहीं

20. विकलांग

: हां नहीं

21. निःशक्तता का प्रकार -I

:

22. निःशक्तता का प्रतिशत

:

23. निःशक्तता का प्रकार -II

:

24. निःशक्तता का प्रतिशत

:

25. मतदाता परिचय पत्र (इपिक) नम्बर

:

26. आधार कार्ड नम्बर

:

27. राशन कार्ड नम्बर

:

*28. भुगतान का तरीका

: बैंक पो.आ. नगद म.आ.

बैंक / पोस्ट आफिस का नाम	:	
शाखा का नाम	:	
खाता क्रमांक	:	
आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड	:	
29. सत्यापन कर्ता	:	

30. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र.	प्रपत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.	आयु प्रमाण पत्र (सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में महापौर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/जन्म पंजी/चिकित्सक का प्रमाणपत्र/स्कूल प्रमाणपत्र) (समी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
2.	निवास प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अथवा सरपंच/पार्षद द्वारा जारी) (समी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
3.	निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण पत्र) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंगारा निःशक्त पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
4.	मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा एवं इंगारा विधवा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
5.	पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र (परित्यक्त हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा योजना हेतु अनिवार्य)		
6.	6-14 आयुवर्ग के निःशक्तजनों के लिए स्कूल जाने का प्रमाण पत्र (संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
7.	बौने हेतु प्रमाण पत्र (प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		

-:घोषणा पत्र :-

मैं श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति.....
निवासीसत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

31. आवेदन का परीक्षण : पात्र अपात्र

कारण टीप के साथ :

सत्यापनकर्ता अधिकारी का टीप :

(हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : सरपंच/सचिव/नगरीय निकाय का
अधिकारी/पार्षद

छटनीकर्ता का टीप :

(छटनीकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : समाज शिक्षा संगठक/नगरीय निकाय के
अधिकारी

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जपं/नगरीय निकाय के अधिकारी

नोट :- * चिन्ह वाले स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

प्राप्त आवेदन - पत्र की अभिस्वीकृति

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना/सुखद सहारा योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु -

श्री/श्रीमती/कुमारीपता.....

..... का आवेदन पत्र आज दिनांकको नगर
पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/ग्राम पंचायत.....कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

प्रारूप-1
[भाग-दो]

आयु प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्दियत सहित)

..... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) ..

वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता/निःशक्त है। आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है/आवेदक अवयस्क है, तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदमुद्रा सहित)
ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान

दिनांक

प्रारूप-1
[भाग- तीन]

8 से 14 वर्ष की आयु के निःशक्त शालेय छात्र के संबंध में प्रमाण-पत्र
(यह प्रमाण-पत्र स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्लिदयत सहित)

..... पिता का नाम

..... की शालेय रिकार्ड के आधार पर जन्मतिथि है एवं आयु वर्ष

..... है तथा आवेदक (स्कूल का नाम).....

की कक्षा का छात्र है।

प्राचार्य/प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदमुद्रा सहित)

स्थान
दिनांक

प्रारूप-1
[भाग- चार]

परित्यक्ता महिला होने का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम के संबंधित वार्ड के पंच तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र में पार्षद द्वारा किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम)

..... पिता का नाम निवासी

(वर्तमान पूर्ण पता सहित).....

..... पति द्वारा इन्हें दिनांक

..... से परित्याग किया गया है। श्रीमती

अब परित्यक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

पंच/पार्षद
ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत
जिला (छत्तीसगढ़)

स्थान

दिनांक

प्रारूप-दो

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन-पत्रों का पंजीयन रजिस्टर

क्र.	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का पूरा नाम व पता	वर्ग अ.जा./अ.ज. जा./पिछड़ा वर्ग	लिंग
1	2	3	4	5

उम्र	पेंशन योजना	ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को प्रेषण करने का दिनांक	पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत	ओदश क्र. व दिनांक
6	7	8	9	10

पेंशन स्वीकृति की स्थिति का विवरण			अस्वीकृत का कारण	स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील
तिथि/माह जब से स्वीकृत की गई	केन्द्र स्कीम की राशि	राज्य स्कीम की राशि		
11	12	13	14	15

नोट - कालम नंबर 8 केवल ग्राम पंचायत के लिये है।

प्रारूप - तीन
आवेदक को सूचना

..... जिला छत्तीसगढ़

क्रमांक

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

..... निवासी ग्राम/नगरतहसील/विकासखण्ड

..... को जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक दिनांक.....

..... में लिये निर्णय अनुसार माह वर्ष से एतद् द्वारा -

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना/सुखद सहारा योजना अंतर्गत राशि रूपये/- प्रतिमाह के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

या

पेंशन की पात्रता न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

पेंशन अस्वीकृत के कारण

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/
नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

पृष्ठा क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त/उप-संचालक, समाज कल्याण, जिला
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आवेदक को सूचनार्थ ।

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/
नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

प्रारूप-चार

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना हेतु पेंशन राशि का वितरण रजिस्टर

क्र.	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	हितग्राही का नाम	पता	वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/अन्य)	लिंग	उम्र
1	2	3	4	5	6	7

पेंशन योजना	पेंशन स्वीकृति का विवरण स्वीकृति की तिथि
8	9

पेंशन भुगतान का विवरण				भुगतान की गई राशि		रिमार्क
बैंक का नाम व स्थान	पोस्ट ऑफिस का स्थान	बैंक/पोस्ट ऑफिस का खाता क्रमांक	ग्राम पंचायत के माध्यम से नगदी भुगतान	केन्द्र स्कीम की राशि	राज्य स्कीम की राशि	
12	13	14	15	16	17	18

नोट - उक्त रजिस्टर दो प्रतियों में संधारित किया जावेगा, जिसमें से एक प्रति परफोरेटेड होगी। परफोरेटेड प्रति जिला कार्यालय, समाज कल्याण को भेजी जायेगी।

प्रारूप - 5
[भाग - एक]

वार्षिक सत्यापन का रिपोर्टिंग प्रारूप

सत्यापन दिनांक

ग्राम..... ग्राम पंचायत..... जनपद पंचायत..... जिला.....

क.	हितग्राही का नाम	पिता/पति का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति कमांक व दिनांक एवं वर्ष	जीवित (हां/नहीं)	पात्रता (हां/नहीं)	अपात्र होने का कारण	हितग्राही का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
सरपंच

नाम

सचिव

नाम

वार्षिक सत्यापन का रिपोर्टिंग प्रारूप

जनपद पंचायत / नगरीय निकाय का नाम

क्र.	ग्राम पंचायत की संख्या	कुल हितग्राही	सामाजिक अंकेक्षण परचात हितग्राही	ग्राम पंचायत की संख्या जहां सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन किया गया है।	ग्राम पंचायत की संख्या जिनके हितग्राहियों की वार्षिक सत्यापन की प्रविष्टि वेबसाइट में की गई है।	ग्राम पंचायत की संख्या जहां सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन नहीं किया गया है।	सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि सभी पंशन हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन कर लिया गया है। सत्यापन अनुसार योजनावार हितग्राहियों की संख्या उपरोक्तानुसार है।

हस्ताक्षर
(जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्चल पेंशन योजना / सुखद सहारा योजना
(आकृति संख्या 8)

भाग संख्या	हितग्राही					गत वर्ष का शेष राशि	वर्ष में प्राप्त आबंटन	कुल आबंटन	माह अंत तक व्यय	शेष राशि
	60 से 79 वर्ष	80 वर्ष या ऊपर	योग	अजा	अजजा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	-15-									
2	-53-191-									
3	-53-192-									
4	-53-193-									
5	-80-									
6	-81-191-									
7	-81-192-									
8	-81-193-									
9	-82-									
10	-83-191-									
11	-83-192-									
12	-83-193-									
योग										

महिला					पुरुष					कुल हितग्राही					रिमांक
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

पुरातन संबंधी विवरण	
द्वैक	पोस्ट आफिस
26	27
	नगद
	28

संग्रह / उप संचालक
समाज कल्याण

नोट - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा सुखद सहारा योजना के लिए कालम 11 से 20 विलोपित माना जाये।

राजिक सुरक्षा पेशन

माह

(आंकड़े लाख में)

क.	जिला	हितग्राही	गत वर्ष का शेष राशि	वर्ष में प्राप्त आबटन	कुल आबटन	माह अंत तक व्यय	शेष राशि	बौने व्यक्ति	निशकतजन			सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना में पूर्व के निराश्रित हितग्राही		योग (9+12+15)	
									6 से 17 वर्ष	17 वर्ष से अधिक	योग	वृद्ध	विधवा / परित्यक्ता		योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	-80-198-														
2	-81-191-														
3	-81-192-														
4	-81-193-														
	योग														

महिला					पुरुष					कुल हितग्राही					रिमार्क
अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	अजा	अजजा	सामान्य	अपिव	योग	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

मुगतान संबंधी विवरण			
बैंक	पोस्ट ऑफिस	नागद	
33	34	35	

संयुक्त / उप संचालक
समाज कल्याण